सत्यमेव जयते

Government of India

MSME

MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

PHD CHAMBER

PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

बौद्धिक सम्पदा सुविधा केंद्र

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग हेतु (एम एस एम ई)

पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

सेवारत– दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एचपी, झारखण्ड, जे एंड के,
एम पी, राजस्थान, यू पी, बिहार, छतीसगढ़ उत्तराखंड तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र

हमारे बारे में

श्री आलोक बी. श्रीराम
अध्यक्ष

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिष्ठित चैंबरों में से एक 110 वर्ष पुराना है। 1905 में स्थापित यह एक भविश्योन्मुखी, सकिय और उत्साही बहु राज्य सहायक संस्थान अपने मजबूत राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रिय संपर्कों के संग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। यह व्यापारिक घरानों, केन्द्र में सरकार और राज्य सरकारो, समुदायों व वैश्विक इकाइयों के संग मिलकर कार्य कर रहा है। यह सूचना को साझा करने के बाद हस्तांतरण पर एक अपने सुनियोजित कार्यक्रमों के संग छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचता है।

पीएचडी चैंबर व्यापारिक समुदाय के एक संगठन से कहीं अधिक है और हॉलमार्क ने अर्थव्यवस्था के विकास को एकीकृत किया है जिसमें आर्थिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तनों को अलग अलग ध्यान दिया जाता है। पीएचडी चैंबर्स का मानना है कि कुशल कार्यबल भारत की प्रगति के हर सपने को सच कर देगा और इस प्रकार इसने वर्ष 2015 के लिए अपना उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कौशलयुक्त भारत को चुन लिया है। पीएचडी चैंबर सामाजिक आर्थिक विकास और कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में अपनी कौशल आधारित नीति सलाह भूमिका के माध्यम से योगदान दिया है। कुल मिलाकर संक्षेप में, पीएचडी चैंबर उद्योग, व्यापार और पूरे देश के लिए उद्यमिता में विशेशज्ञ के रूप में कार्य करता है।

श्री महेश गुप्ता
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

श्री गोपाल जीवरजका
उपाध्यक्ष

श्री शरद जयपुरिया
तत्काल पूर्व अध्यक्ष

श्री सौरभ सान्याल
प्रधान सचिव

CSR IMR

PHD CHAMBER India - My Responsibility

राज्यों के संग सहभागिता

पीएचडी चैंबर पूरे भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है जो इसे वाणिज्य और उद्योग के लिए एक खास चैंबर बनाती है। पीएचडी चैंबर का भौगोलिक विस्तार कई राज्यों में है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उत्तरी पूर्वी राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा), पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गुजरात के संग संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में।

दिल्ली में मुख्यालय के संग चैंबर के क्षेत्रीय कार्यालय बिहार, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, जम्मू, लखनउ, रायपुर और शिमला में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

पीएचडी चैंबर के मुख्य क्षेत्र

- औद्योगिक विकास
- शिक्षा और कौशल विकास
- स्वास्थ्य
- सस्ते घर
- कृषि और कृषि व्यापार
- डिजिटल इंडिया

बौद्धिक सम्पदा सुविधा केंद्र

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग (एम एस एम ई)

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार के संग मिलकर आईपी उपकरणों व तकनीकों के प्रयोग के संबंध में एमएसएमई को दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए लखनउ में एमएसएमई के लिए एक बौद्धिक सम्पत्ति फैसिलिटेशन केन्द्र की स्थापना की। इस उपक्रम को ग्यारहवीं योजना के अंतर्गतराष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत व एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता का निर्माण करने की योजनाओं के अंतर्गत समर्थन किया गया है और यह एमएसएमई की आवश्यकताओं के संबंध में बौद्धिक संपदा का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

केन्द्र का आईपी सुविधा केन्द्र

- बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करता है और व्यक्तिगत उपक्रमियों व एमएसएमई के बीच इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करता है।
- व्यक्तिगत उपक्रमियों और एमएसएमईके लिए आईपी संबंधित सस्ती सेवाएं प्रदान करता है।
- आईपीसंबंधी संसाधनों को प्रदान करता है।
- एमएसएमई को अवसरों को पहचानने में मदद करता है और भारत के प्रगति बाजार में प्रवेश करने में मदद करता है।
- आईपी के वाणिज्यीकरण में मदद करता है।

lqfo/kk

आईपीआर क्यों?

बौद्धिक सम्पत्ति जैसे पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत और व्यापार रहस्यों की महत्ता आज के बदलते परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं, जिन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निरंतर अभिनवता, लघु उत्पाद चक्र, तकनीक में त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता, शोध और विकास में उच्च निवेश, उत्पादन में बढ़ती कुशलता और कुशल मानव श्रम की आवश्यकता के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्पाद से परे, जो उपक्रम निर्माण करता है या वे सेवाएं जो एक उपक्रम प्रदान करता है यह संभव ही है कि वह नियमित रूप से बौद्धिक सम्पत्ति का निर्माण करता रहे। तो उपक्रमों के बीच इस बारे में आवश्यकता उत्पन्न हो रही है कि वह अपनी बौद्धिक सम्पत्ति की रक्षा व प्रबंधन करे ताकि उसे स्वामित्व से सर्वश्रेश्ठ संभावित परिणाम हासिल हो सके।

हम यहां आपके लिए हैं

पीएचडी–आईपीआर टीम में वे क्षेत्र सम्मिलित होते है। जो आईपी के क्षेत्र में अपने विशिष्ट अनुभवों का प्रयोग करेंगे जिससे आप अपने आईपी को लाभ पहुंचाते हुए प्रगति के उद्देश्य को हासिल करने में मदद कर सकें। यह टीम आपको कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के संपर्क में लाएगी और आपको आईपी पर आपके प्रश्नों में मदद देगी व आपके व्यापार के लिए विविध आईपी रणनीतियों में मदद करेगी। हम पूर्व आट्र खोजों, पेटेंट ड्राफ्टिंग, क्लियरेंस सर्च, आईपी अनुरोधों को भरना, ऑफिस के कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं, जो न केवल विश्वसनीय बल्कि सस्ते और प्रभावी भी होते हैं। अगर आपको अपने आईपी या किसी वर्तमान आईपी के संबंध में कोई समस्या आती है तो हम इन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं जिससे आप अपने व्यापार और लाभ पर ध्यान दे सकें।

आइए अभिनवता की ओर कदम बढ़ाएं!

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- सलाह
- आईपीखोज
- आईपी आवेदनों को भरना और कार्यवाही
- बाजार सर्वे और जांचपड़ताल
- आईपी मूल्यांकन और लेखापरीक्षा
- आईपी निगरानी
- किसी असाइनमेंट को तकनीकी लाइसेंस देना
- आईपीआर का वाणिज्यीकरण
- लागू करना
- कानूनी सलाह

केन्द्र में सुविधाएं

- तकनीकी और कानूनी सलाह
- आधुनिक संरचना
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईपी पुस्तकालय – दिशानिर्देश और समाचारपत्र
- कॉफ्रेंस रूम
- आईपी डेटाबेस में पहुंच
- हेल्पलाइन
- आईपी कार्यालय में मार्ग

PHD CHAMBER

PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ऐ के)

बौद्धिक संपदा अमूर्त कॉरपोरेट सामग्री होती है जिसमें कई अधिकार सम्मिलित होते हैं। बौद्धिक संपदा में मानव मस्तिश्क से उपजी क्षमता होती है जैसे एक आविष्कार , किसी लेख, साहित्यिक कार्य, प्रतीक / व्यापार चिन्ह होते हैं जिनका वाणिज्यिक मूल्य होता है और वह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता है।

बौद्धिक संपदा में आम तौर पर निम्न सम्मिलित होते हैं:

1. पेटेंट
2. व्यापार चिन्ह
3. औद्योगिक डिजाइन
4. कॉपीराइट
5. वस्तुओं के भौतिक संकेत
6. एकीकृत सर्किट
7. व्यापार के रहस्यों जैसी गोपनीय सूचनाओं का बचाव

पेटेंट

पेटेंट क्या है?

पेटेंट अपने स्वामियों को अपने अविष्कार को बनाने, प्रयोग करने और बेचने से रोकता है।

पेटेंट की शर्तें

पेटेंट की अवधि आम तौर पर 20 वर्ष होती है बशर्ते शुल्क का भुगतान हर वर्ष के अंत में होता रहे।

क्षेत्रीय संभावना

पेटेंट के नियम क्षेत्रीय होते हैं और इन्हें हर देश में अपनाया जाना चाहिए। भारतीय पेटेंट अविष्कार केवल भारत में ही फाइल किए जा सकते हैं।

किसे पेटेंट किया जा सकता है?

केवल अविष्कारों का ही पेटेंट किया जा सकता है। एक अविष्कार नया, उपयोगी होना चाहिए और निकटतम कला से कुछ अलग होने चाहिए। एक नया और अनजाहिर उत्पाद, प्रक्रिया, उपकरण या सामग्री का संकलन ही पेटेंट किया जा सकता है।

पेटेंट योग्य खोज

पेटेंट योग्य खोज एक नया अविष्कार खोजने की खोज होती है। पेटेंट योग्य खोज एक वैश्विक अवधारणा है चूंकि खोज एक सीमा अवरोध होती है। पर यह ध्यान रखा जाए कि पेटेंट नियम क्षेत्रीय होते हैं।

कंप्युटर डेटाबेस खोज बहुत ही त्वरित होते हैं और सस्ती होती है। डेटाबेस खोज अधिकतर आधुनिक खोजों को खोजने में उपयोगी होती हैं जो कला के सुविख्यात शब्दों के द्वारा परिभाषित होते हैं। वे प्रबंधकीय खोजों के मामले में बहुत ही कम उपयोगी होते हैं।

कोई खोज, किसी भी आविष्कार की 'गारंटी' नहीं होगी। जिसका उद्देश्य सार्थक पेटेंट संरक्षण प्राप्त करने के लिए संभावनाओं का एक उचित मूल्यांकन करना है। खोज के परिणाम पैटेंट के आवेदन को तैयार करने में भी उपयोगी होते हैं।

खोज के संचालन के लिए आवश्यक सूचनाः

एक खोज के संचालन के लिए आविष्कार का वर्णन, चित्र या फोटोग्राफ, इस बात को दर्शाना भी सहायक होंगे कि यह कैसे बनाया गया, संचालित किया गया और इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा किसी भी ज्ञात पूर्व कला की जानकारी, पूर्व कला की कमियों का सारांश, इन आविष्कार से इनको कैसे दूर किया जाता है उसकी व्याख्या, आविष्कार के कोई अन्य लाभ की सूची, और आविष्कार की सामान्य अवधारणा से बिना हटे किये जा सकने वाले रूपांतर या संशोधन का ब्यौरा

एक पेटेंट के लिए आवेदन कौन कर सकते हैं?

एक पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन वास्तविक और पहले आविष्कारक द्वारा किया जा सकता है जो सही स्वामित्व इस तथ्य के कारण रखता है कि उसने इसका अविष्कार किया या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया है जो वास्तविक और पहले आविष्कारक का एक समनुदेशिती /कानूनी प्रतिनिधि है। इसके अलावा वास्तविक और पहला आविष्कारक की मृत्यु के मामले में वास्तविक और पहले आविष्कारक का कानूनी वारिस भी पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है।

कौन सा आविष्कार पेटेंट के योग्य नहीं है?

1. एक आविष्कार जो तुच्छ है या स्पष्ट रूप से सभी स्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत किसी बात का दावा करे।
2. एक आविष्कार जो प्राथमिक रूप से या जिसका इरादा या नें वाणिज्यिक दोहन जनता के हितों के विपरीत हो।
3. वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज मात्र हो या महत्वपूर्ण सिद्धांत का सिर्फ प्रतिपादन करता हो।
4. ज्ञात पदार्थ का कोई नया गुण या या नया उपयोग या केवल ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण जबतक की ऐसे ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरुप किसी भी नए उत्पाद उत्पन्न नहीं होता या नया अभिकारक तैयार नहीं होता।
5. एकत्रीकरण के गुण के कारण मात्र मिश्रण से जिसके परिणामस्वरूप एक पदार्थ के प्राप्त किया गया हो।
6. मात्र व्यवस्थित करना या पुनः व्यवस्थित करना या प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले ज्ञात उपकरणों का प्रतिरूप तैयार करना।
7. कृषि या बागवानी का तरीका।
8. मनुष्य या पशुओं के, औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी या अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया।
9. सम्पूर्ण पौधों और जानवरों, या उनके पूरे किसी भाग या सूक्ष्म जीव के अलावा किन्तु जिसमे बीज, किस्मों और प्रजातियों और पौधों और जानवरों के उत्पादन या प्रचार के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है उसका कोई हिस्सा।
10. उद्योग पर तकनीकी प्रयोग या हार्डवेयर के साथ संयोजन के अलावा एक कंप्यूटर प्रोग्राम
11. एक गणितीय विधि या व्यापार विधि या कलन विधि
12. एक साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक काम या अन्य सौंदर्य सृजन जिसमे सिने कार्य और टीवी प्रस्तुतियों शामिल हैं।
13. मात्र एक योजना या नियम या मानसिक कार्य को प्रदर्शन करने की विधि या खेल खेलने की विधि ।
14. सूचना की प्रस्तुतिकरण
15. एकीकृत सर्किट की सिलाकृति
16. एक आविष्कार जिसका प्रभाव पारंपरिक ज्ञान है या जो कुल मिलकर या प्रतिरूप में पारंपरिक ज्ञात घटक या घटकों के नाम से जाना जाता हो।
17. परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार।

पेटेंट विनिर्देश क्या है?

पेटेंट विनिर्देश आविष्कार के विवरण को प्रस्तुत करता है जिसके लिए पेटेंट संरक्षण की मांग की गई है। पेटेंट में कानूनी अधिकार विनिर्देश में किए गए खुलासे पर आधारित होते हैं। विनिर्देश दो प्रकार के होते हैं

1. अनंतिम: अनंतिम विनिर्देश अधूरे आविष्कार या ऐसे अविष्कार जिनको अधिक विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, का विवरण देता है। अनंतिम विनिर्देश आविष्कार से पूर्व की तारीख पर दावा करने के लिए दायर किया जाता है।

2. पूर्ण: आविष्कार का विस्तृत वर्णन युक्त दस्तावेज , जो चित्र और दावे के साथ–साथ हैं उन्हें पूर्ण विनिर्देश कहा जाता है । इसके अलावा पूर्व विनिर्देश में पूर्व कला के विवरण को भी शामिल किया जाता है।

प्राथमिकता की तिथि क्या है?

प्राथमिकता की तिथि वह तिथि है जिस पर अनंतिम विनिर्देश या पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट का आवेदन पेटेंट कार्यालय में दायर किया जाता है ।

आवेदन दाखिल करने के बाद क्या होता है?

प्रारंभ में, एक पेटेंट परीक्षक पेटेंट आवेदनों की जांच करता है और फिर प्रथम जाँच रिपोर्ट के माध्यम से आवेदक को आपत्तियों यदि कोई हो, के बारे में सूचित करता है। आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर पेटेंट कार्यालय के निर्देशों की पूर्ति के साथ मिलना होता है, यदि आवेदक ऐसा करने में विफल रहता है तो आवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अन्यथा आवेदन पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पेटेंट गजट में प्रकाशित किया जाता है। उक्त प्रकाशित आवेदन जनता और और विपक्ष के अवलोकन के लिए खुला होता है। यदि इसका कोई विरोध नहीं होता है तो पेटेंट स्वीकृत माना जाएगा।

ट्रेडमार्क:

ट्रेडमार्क क्या होता है?

ट्रेडमार्क एक शब्द, प्रतीक, लोगो, आदर्श वाक्य हो सकता है, या इन सभी का मिश्रण होता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं की दूसरे की वस्तुओं या सेवाओं से अलग पहचान करने और भेद करने में किया जाता है, और वस्तुओं या सेवाओं के स्रोत के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।

ट्रेडमार्क के साथ 'टीएम', 'एसएम' और संकेतन का प्रयोग:

'टीएम' या 'एसएम' संकेतन केवल तीसरे पक्षों को सूचित करने के लिए एक साधन है कि किसी व्यक्ति का 'टीएम' या 'एसएम' अंकन के साथ जुड़े शब्द, आदर्श वाक्य, या वाक्यांश पर ट्रेडमार्क अधिकार का दावा दावा है । जब एक बार ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया जाता है तो उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वीकृति के बाद प्रतीक का प्रयोग किया जाता है।

ट्रेडमार्क के प्रकार:

मूलरूप से ट्रेडमार्क तीन प्रकार के होते हैं जिनके नाम हैं

1. ट्रेडमार्क और सेवा चिह्न
2. सामूहिक चिह्न (कलेक्टिव मार्क)
3. प्रमाणपत्र ट्रेडमार्क (सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क)

ट्रेडमार्क की अवधि:

ट्रेडमार्क की अवधि दस साल के लिए होती है, लेकिन हर दस साल के बाद इसका नवीनीकरण द्वारा पंजीकरण करा के चिन्ह को सदा के लिए अपना सकते है। इसी तरह इसको सौंपा और लाइसेंस दिया जा सकता है।

डिजाइन:

डिजाइन क्या है?

डिजाइन का अर्थ है आकार विन्यास पैटर्न, पंक्तियों की सजावट या संरचना या किसी वस्तु पर रंगों का उपयोग जो दो आयामी या तीन आयामी या दोनों रूपों में किये जाते हैं । डिजाइन के पंजीकरण में वस्तु के यांत्रिक लक्षण को शामिल नहीं किया जाता।

कॉपीराइट क्या है?

कॉपीराइट का अर्थ है निम्न से सम्बंधित किसी काम को करने का अनन्य अधिकार या किसी निश्चित काम को करने के लिए दूसरों को अधिकृत करनाः

1. साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक काम ।
2. सिनेमेटोग्राफ फिल्म
3. ध्वनि रिकॉर्डिंग

विषय के अनुसार कृत्यों की प्रकृति बदलती रहती है। मूल रूप से कॉपीराइट किसी काम की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर अधिकार से है जिसमे कॉपीराइट सन्निहित है।

माल के भौगोलिक संकेतः

माल के भौगोलिक संकेत का अर्थ ऐसे संकेत से है जो किसी माल के उद्भव के बारे में बताता है जो एक सदस्य के क्षेत्र से सम्बंधित होता है या उस क्षेत्र या इलाके से संबंधित होता है जहाँ दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या माल की अन्य विशेषता इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार माल अधिनियम के भौगोलिक संकेत, उन व्यक्ति या व्यक्तियों को इसका उपयोग करने के लिए अधिकार प्रदान करता है, जहाँ माल का उद्भव होता है , उन्हें तैयार किया जाता है या संसाधित किया जाता है या बनाया जाता है।

वनस्पति किस्म और किसान अधिकार संरक्षणः

इस अधिनियम के तहत प्रजनक, किसी व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा नामित किसी के द्वारा वनस्पति/फसल की नई किस्म के संरक्षण के लिए अधिकार होगा। इस अधिनियम के तहत एक किस्म के उत्पादन, बिक्री, प्रत्यक्ष विक्रय या निर्यात करने का अधिकार शामिल है।

और आगे अधिनियम किसान के अधिकारों को इस प्रकार निम्न रूप में परिभाषित करता हैः

किसान उसी तरह अपने खेत की उपज को बचाने, उपयोग करने, बोना, फिर से बोना, विनिमय, साझी करने जिसमे एक किस्म के बीज को संरक्षित करना भी शामिल है, का हकदार समझा जाएगा जैसा इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से पहले वह हकदार था लेकिन किसान इस अधिनियम के तहत संरक्षित एक किस्म के ब्रांडेड बीज को बेचने के लिए हकदार नहीं होगा।

भारत में पौधों का पेटेंट नहीं होता हैं। फिर भी पौधों को वनस्पति किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत संरक्षित किया जा सकता जैसा ऊपर कहा गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकारः

बौद्धिक संपदा अधिकार, वैधानिक अधिकार हैं जो जिसका एक बार उसके निर्माता (ओं) या स्वामी (ओं) को अनुमति दिए जाने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों द्वारा व्यावसायिक रूप से शोषण करने से बचाता हैं। यह उसके निर्माता (ओं) या स्वामी (ओं) को उनके काम से लाभ के लिए अनुमति देता है जब इनका व्यावसायिक रूप से शोषण होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार एक आविष्कारक या निर्माता, डिजाइनर को उसकी/उसके ज्ञान को प्रकाश में लाने के एवज में दिया जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत में कानून शासी निम्न प्रकार हैं :

1. बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत में कानून शासी निम्न प्रकार हैं :
2. ट्रेड मार्क्स अधिनियम(1958 मूल) 1999
3. कॉपीराइट अधिनियम 1957
4. डिजाइन अधिनियम 2000
5. माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999
6. वनस्पति किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

आविष्कार / नवाचार क्या है?

अविष्कार का अभिप्राय है। एक नया पदार्थ अथवा नयी प्रक्रिया जिसमे खोजी पायदानों का इस्तेमाल किया गया हो तथा औद्योगिक इस्तेमाल हेतु समर्थवान हो.

नवाचार का अभिप्रायरू किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बुद्धि का प्रयोग करते हुए उपयोगी मशीन अथवा प्रक्रिया के रूप में नए विचारों का सफल दोहन नवाचार कहलाता है. हरेक नवाचार पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं हो सकता किन्तु हरेक आविष्कार एक नवाचार है.

हरेक आविष्कार नवाचार है तथा पेटेंट योग्य है, किन्तु प्रत्येक नवाचार पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं हैं.

परंपरागत ज्ञान (ट्रेडिसनल नॉलेज, टी.के.) क्या है?

ऐसा ज्ञान जिसे निरंतर पीढियों में किसी समुदाय / व्यक्ति द्वारा विकसित, हासिल, उपयोग, अभ्यास, प्रेषित अथवा पोषित किया गया है, परंपरागत ज्ञान कहलाता है.

जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है उस अनुसार भारत में मौखिक ज्ञान के साथ साथ परमपरागत ज्ञान को व्याप्त आईपीआर के प्रावधानों के तहत संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है. तथापि यदि व्याप्त परंपरागत ज्ञान में कोई उल्लेखनीय विकास होता है तथा ये अविष्कार के परिभाषा पर खड़ा उतर पाता है तो पेटेंट का आवेदन किया जा सकता है.

पूर्व सूचना सम्मति (प्रायर इनफोर्मेसन कंसेंट) क्या है?

पूर्व सूचना सम्मति वो स्वीकृति है जिसे नवाचार करने वाले व्यक्ति तथा / अथवा आविष्कारक तथा /अथवा ज्ञान संरक्षक से वाणिज्यिक नवाचार के विकास, संरक्षण, अनुसन्धान हेतु लिया जाता है. पूर्व सूचना सम्मति वाले दस्तावेज विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, हरेक में यह परिभाषित किया जा सकता है कि किस हद तक नवाचार का दोहन किया जा सकता है तथा किस मामले में दोहन का अधिकार कितना होगा.

पी.सी.टी. क्या है?

पी.सी.टी. पेटेंट कोपरेसन ट्रीटी (पेटेंट सहयोग संधि) का संक्षिप्त रूप है. पी.सी.टी. एक अन्तराष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत आवेदक को यह सुविधा प्राप्त होता है कि वो एक ही पेटेंट का आवेदन करके यह तय कर सके कि उसे किन देशों में अपने आई.पी. अधिकार को सुरक्षित करना है. अतः अन्तराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट हेतु एक ही आवेदन दर्ज किया जाता है जिसमे नामांकित देशों हेतु प्राथमिकता दिनांक का दावा किया जाता है. अन्तराष्ट्रीय परिक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, आवेदक को हरेक तयशुदा देश में उसके आवेदन को रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आग्रह दर्ज करना होता है, इसे पेटेंट आवेदन का राष्ट्रीय अवस्था कहते हैं. एक पी.सी.टी. आवेदन एकमात्र आवेदन से अन्तराष्ट्रीय फायलिंग दिनांक भी प्रदान करता है. भारत पी.सी.टी. संधि समूह का एक सदस्य देश है.

पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीच्युस्नल क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग, नयी दिल्ली – 110016
(भारत, टेलीफोन–.91 11 26863801– 04 49545454 एक्सटेंसन,274
फैक्स..91 11 26855450 मोबाइल–.91 – 9818778399

पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पी.एच.डी. हाउस, प्लाट – B / फेस 2, संख्या १३, अपना बाज़ार
के नजदीक,
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226001
टेलीफोन– + 91 522–2728940, फैक्स – + 91 522–2728996
मोबाइल– + 91 – 9415336674

PHD CHAMBER
PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT
Estd. - 1905

कार्यालय उपयोग हेतु   रेफरेंस संख्या–   दिनांक

आवेदक फोटोग्राफ

IPR2015 -

महाशय

हम बौद्धिक सम्पदा अधिकार केंद्र के सेवाओं हेतु आवेदन करना चाहते हैं. हम इस हेतु समस्त सहायक दस्तावेजों तथा नकदी /चेक / डीडी संख्या * ____________________ दिनांक __________________________ को "पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री" को देय के नाम से संलग्न कर रहे हैं.

आवेदक का पूरा नाम		
पदवी		
इंटीटी (हस्ती) का नाम		
उद्योग	☐ व्यक्तिगत ☐ सूक्ष्म ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ मालिकाना ☐ एलएलपी ☐ सहभागिता ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ लिमिटेड ☐ .अन्य	
उद्योग की प्रकृति		
पत्राचार हेतु पूरा पता	....	
फोन	मोबाइल	ईमेल

सेवा के लिए जरुरी– यदि किसी भी स्तम्भ में जगह की कमी हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करे.

2.	जरुरी सेवाएं (कृपया चिन्हित करे)				
A.	सलाहकारी एवं परामर्शी		F.	आईपी ड्यू डिलिजेंस	
B.	आईपी सर्चेज		G.	तकनीकी स्काउटिंग, लायसेंसिकरण तथा कार्यभार	
C.	आईपी आवेदनों का दाखिलिकरण एवं अभियोग		H.	आईपीआर प्रवर्तन का वाणिज्यीकरण	
D.	बाज़ार सर्वे/ जांच		I.	कानूनी सलाह	
E.	आईपी वेलुएसन तथा ऑडिट		J.	अन्य	

संलग्नपत्रों की सूचि (बाद में भेजे जाने हेतु)
विस्तृत वर्णन दृ पुनर्मुद्रण की 2 प्रति यदि तकनीकी /विज्ञान पत्रिकाओं में आपके आविष्कार का विवरण प्रकाशित हुआ हो तो उसकी प्रति, प्रकाशन की प्रति, पेटेंट विशेषता (तात्कालिक/ पूर्ण), चित्र/ रेखाचित्र, पेटेंट खोज दस्तावेज.

सदस्यता शुल्क

श्रेणी	रुपया
व्यक्तिगत/ सूक्ष्म उद्योग	**1000**
लघु उद्योग	**2000**
मध्यम उद्योग	**3000**

*(वार्षिक)

पी.एच.डी. चेंबर आईपीऐंफसी बौद्धिक सम्पदा विश्लेषण तथा संरक्षण के साथ साथ अपने किसी भी सलाहकारी सेवा के प्रभाव सम्बन्धी किसी भी चीज की गारंटी प्रदान नहीं करता है. आवेदक यह समझता है तथा स्वीकार करता है कि पी.एच.डी. चेंबर आईपीऐंफसी अपनी सलाहकारी सेवाएं अपने तरफ से बेहतरीन ढंग से प्रदान करेगा किन्तु इससे जुड़े किसी भी परिणाम की गारंटी प्रदान नहीं करेगा. यह यहाँ पर घोषित किया जाता है कि आवेदक ने पी.एच.डी. चेंबर आईपी केंद्र सेवा पैकेज को भली भांति समझ लिया है तथा इसे स्वीकार करता है. हस्ताक्षर करने वाले आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि भी यह घोषित करता है कि यहाँ पर दी जाने वाली सारी सूचनाएं उसके व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुरूप सत्य एवं पक्का है, तथा यह बात समझता है कि दिए गए सूचनाओं का असत्य तथा गलत पाए जाने पर कहे गए सेवा का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है.

हस्ताक्षर. - ______________________________   दिनांक____________________________________

PHD CHAMBER

PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

पी.एच.डी. चेंबर कार्यालय

मुख्य कार्यालय – पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीच्युस्नल क्षेत्र अगस्त क्रांति मार्ग, नयी दिल्ली –110016
टेलीफोन: 91-11-26863801-4, 49545400 फैक्स: 91-11-26855450, 49545451 ई मेल phdcci@phdcci.in वेबसाईट: www.phdcci.in

सिटी सेंटर– सूट संख्या 23, दूसरा ताल, इंद्रा पैलेस, एच ब्लाक, मिडिल सर्कल, कनौट प्लेस, नयी दिल्ली 110001 फोन: 91-11-23327421

राज्य कार्यालय

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ : पी.एच.डी. हाउस, सेक्टर– 39 अ, चंडीगढ़ – 110031
फोन: 91-172-2638941, 2638653 फैक्स: 91-172-2638982 ईमेल: mail@phdccichd.com

हिमाचल प्रदेश– कमरा संख्या 205, उद्योग भवन, शिमला - 171044 टेलिफैक्स: 91-177-2807855 ईमेल: phdshimla@phdcci.in

राजस्थान: पी.एच.डी. हाउस, प्लाट संख्या जी - 68 (सी) मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर – 302020 ईमेल: phdjaipur@phdcci.in

उत्तर प्रदेश – प्लाट बी अपना बज़ार के नजदीक, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
फोन: 91-522-2728940 फैक्स: 91-522-2728996 ईमेल: phdlucknow@phdcci.in

मध्य प्रदेश : 22, वैशाली नगर, MACT, के नजदीक, भोपाल - 462003 फोन: 91-755-2670247-48 ईमेल: phdbhopal@phdcci.in

जम्मू कश्मीर: 274/3, चन्नी हिम्मत, लूथरा अकादमी के विपरीत, जम्मू - 190003 ईमेल: phdjammu@phdcci.in

श्रीनगर – होटल हीमल, बोलेवार्ड रोड, श्रीनगर – 190001 ईमेल: phdsrinagar@phdcci.in

उत्तराखंड– शिवा प्लेस, दूसरा तल 18 &19, 57/19 राजपुर रोड, देहरादून – 248001, उत्तराखंड ईमेल: phddehradun@phdcci.in

छतीसगढ़– बी 1 ग्रीन लैंड विशाल नगर छतीसगढ़ होटल के पीछे, रायपुर – 492006 ईमेल: phdraipur@phdcci.in

बिहार : 218 पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800013 ईमेल: phdpatna@phdcci.in

झारखण्ड: फ्लैट संख्या 407 सरोज अपार्टमेंट, किलबर्न कॉलोनी हीरू (स्प्रिंग माल के पास) रांची – 834 002
ईमेल: phdranchi@phdcci.in

क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआर) : आई आई ई कैंपस बशिष्ठ चरिअली एन एच 37 बाय पास, गेम विलेज के पास, लालमती गुवाहाटी – 781029 (असम)
फोन: 91-361-2303136; ईमेल:nerguwahati@phdcci.in

बेहतरीन कोन्फेरेंस सुविधा

पीएचडी चेम्बर का मुख्य कार्यालय जोकि ऐतिहासिक सिरी फोर्ट के अवशेषों के उल्टे हाथ पर प्रतिष्ठित पीएचडी हाउस भवन मे अवस्थित है तथा चंडीग मे भी इसके बेहतरीन भवन तथा आधारभूत संरचना द्वारा निजी कॉर्पोरेट मामलों के बैठक, कोन्फेरेंस सुविधा, ट्रेनिंग कार्यक्रम आदि के सफल आयोजन को मुमकिन किया जाता है। नयी दिल्ली अवस्थित मुख्य कार्यालय मे 250 सीटों से अधिक का आधुनिक ऑडिटोरियम है, इसके अलावा कई सारे कोन्फेरेंस एवं मीटिंग रूम, के साथ साथ बहुत ही सुसज्जित लॉन भी है जोकि अलग अलग औद्योगिक घराने के जरूरतों को पूरा करता है, जहांकि इन सबका वातावरण अंतर्राष्ट्रीय है वहीं दूसरी ओर ये सस्ता भी है।

पीएचडी हाउस सैक्टर 31 ए, एमएवायएन
चंडीगढ़–160031
ईमेल: **mail@phdccichd.com**

पीएचडी हाउस प्लॉट संख्या 13, नजदीक अपना बाजार
विभूति खंड गोमती नगर, लखनऊ 226001
ईमेल: **phdlucknow@phdcci.in**

पीएचडी हाउस प्लॉट संख्या जी 68
औद्योगिक क्षेत्र मानसरोवर जयपुर
ईमेल: **phdjaipur@phdcci.in**

PHD CHAMBER

PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

पी.एच.डी. चेंबर के बारे में

पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जोकि भारत का एक प्रमुख औद्योगिक कक्ष है, 1905 में अपने जन्म के बाद से ही नीतिज्ञ एवं नियंत्रक हेतु सलाहकारी एवं वकालती भूमिका में भारत के विकास के कहानी में महत्वपूर्ण तथा सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. निरंतर बातचीत, सेमिनार, कांफ्रेंस तथा कानक्लेव से सरकार, उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच एक स्वस्थ विचार विमर्श होता है जिससे कि विकास हेतु नव आयाम निकलकर सामने आता है. 48000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सदस्यों के सदस्यता के बल पर पी.एच.डी. अपनी विरासत उद्योग जगत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में कायम रख पाया है तथा इसी विरासत तथा अर्थतंत्र के समझ के बल पर यह विभिन्न खण्डों (58 औद्योगिक इकाइयों को विशिष्ट कमिटियों द्वारा चालित करना) के साथ साथ सूक्ष्म स्तर पर आमजन से भी जुड़ पाया है.

वैश्विक स्तर पर हम भारत में मौजूद एम्बेसी तथा उच्चायोगों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं ताकि भारत में व्यवसाय जगत में निरंतर उच्चतर वाणिज्यिक तरीके तथा अवसर तैयार किया जा सके.

PHD signifies
PROGRESS • HARMONY • DEVELOPMENT

७ बल देने वाले क्षेत्र

- औद्योगिक विकास
- आधारभूत संरचना
- घर
- स्वास्थ्य
- शिक्षा एवं कौशल विकाश
- कृषि एवं कृषि व्यवसाय
- डिजिटल भारत

:

हम आपसे सुनने की अपेक्षा करते हैं! कृपया हमसे संपर्क करे

एमएस कंचन जुथसी– सचिव (एमएसएमई)
पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पी.एच.डी. हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीच्युस्नल क्षेत्र
अगस्त क्रांति मार्ग, नयी दिल्ली –110016
टेलीफोन : +91 11 26863801-04, 49545454, एक्सटेंसन 278
फैक्स : +91 11 26855450; मोबाइल: +91-9818778399
ई मेल : kanchanzutshi@phdcci.in

श्री आर के शरण – क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर प्रदेश एवं बिहार)
पी.एच.डी. चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पी.एच.डी. हाउस, प्लाट – B / फेस 2, अपना बाज़ार के नजदीक,
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226001
टेलीफोन: +91-522-2728940; फैक्स: +91-522-2728996
मोबाइल: +91-9415336674
ई मेल: phdlucknow@phdcci.in